भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग ।। खण्ड 3 उप-खण्ड (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं 671 नई दिल्ली,मंगलवार,दिसम्बर 27,1988/पौष 6,1910

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर,1988

स.का.नि.1209 (अ) - कयर बोर्ड (सचिव) भर्ती नियम का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, कयर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) की धारा 26 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाना चाहती है , उक्त धारा की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है , जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर इस अधिसूचना के राजपत्र प्रकाशन की तारीख के पैंतालीस दिन की अवधी की समाप्ति पर या उसके पश्चात विचार किया जायेगा ।

किन्हीं ऐसे आदेशों या सुझावों पर,जो उपयुक्त विनिर्दिष्ट अवधी की समाप्ति पर या उससे पहले उक्त प्रारूप नियमों की बावत किसी व्यक्ति के प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार विचार करेगी ।

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारूप** :-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कयर बोर्ड (सचिव) भर्ती नियम 1988 है ।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतनमान और अर्हताएं**:- उक्त पद से संलग्न वेतनमान और उस पर प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अपेक्षित अर्हताएँ वे होंगी जो अनुसूची के स्तम्भ 2 से 8 में विनिर्दिष्टित हैं ।

3. भर्ती की पद्धति और उससे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो अनुसूची के स्तम्भ 9 और 10 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **नियुक्ति प्राधिकारी** -केन्द्रीय सरकार,कयर बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् किसी व्यक्ति को इन नियमों के अनुसार कयर बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त करेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :-जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **बचत** :- इन नियमों की कोई बात,ऐसे आरक्षणों, आयु -सीमा में छूट और रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना
अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों केलिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
सचिव	एक कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	समूह "क"	3700-125-4700-150 5000 रुपये	चयन	लागू नहीं होता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शौक्षिक और अन्य अर्हताएं	**प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हताएं**
7	8
लागू नहीं होता	आवश्यक : 1.किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य । 2.साधारण प्रशासन या कार्मिक प्रबंध या वितीय प्रबंध या विधिक कार्यों के क्षेत्र में समूह "क" पद पर कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो । वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्रि या विधि में डिग्री ।

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नती/प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण किया जाएगा
9	10
स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति /प्रोन्नति द्वारा	1.(i) अखिल भारतीय सेवा या किसी भी अन्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" या राज्य सेवाओं समूह "क" के ऐसे अधिकारी जो भारत सरकार के उप सचिव के समतुल्य पद धारण कर रहे हैं या भारत सरकार के उपसचिव के समतुल्य पद पर नियुक्ति के पात्र हैं । (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । (ii) कयर बोर्ड के ऐसे अधिकारी जिन्होंने 3000 - 4500 रुपये के वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष नियमित सेवा की है ओर जिनके पास स्तम्भ 8 में विहित न्यूनतम अर्हताएं हैं । 2. कयर बोर्ड के किसी अधिकारी के चयन की दशा में पद पर उनकी नियुक्ति प्रोन्नति समझी जाएगी ।

विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना
11
1. सचिव/अपर सचिव औद्योगिक विकास विभाग - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव जो कयर संबधी कार्य करते हो - सदस्य 3. अध्यक्ष, कयर बोर्ड, कोच्ची - सदस्य ।

[फा. सं. 2 (13)/85 - आई सी सी]

जी. वेंकटरमणन, संयुक्त सचिव